

8149

36070



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1

B 419059



विक्रय अनुबन्ध पत्र

प्रतिफल की धनराशि -	रु0 4,99,928/-
अग्रिम धनराशि -	रु0 4,99,928/-
बाजार मूल्य -	रु0 2,78,300/-
स्टाम्प -	रु0 50,100/-

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार - | कृषि |
| 2. परगना - | विजतौर |
| 3. ग्राम - | मुजफ्फरनगर घुसवल |
| 4. सम्पत्ति का विवरण - | भूमि खसरा संख्या 606स रकबा |

जगदीश

रु. शो. 1





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 419060

- 2 -

0.253 हेक्टेअर, स्थित- ग्राम
मुजफ्फरनगर घुसवल, परगना
बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 5. | मापन की ईकाइ | - | हेक्टेअर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.253 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | अमरशहीद पथ से 200 मीटर
से अधिक दूरी पर स्थित है। |

जागदीश

राम शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 419054

- 3 -

8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि
9. पेड़ों की स्थिति - कोई पेड़ नहीं है।
10. बोरिंग/ कुआँ अन्य - कुछ भी नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं० 606स

उत्तर : खसरा संख्या-604

दक्षिण : ग्राम-सीमान्निजामपुर

पूरब : सम्पत्ति अन्य

जगदीश

दि. 10/10/18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 507336

- 4 -

पश्चिम

खसरा संख्या-603,516

प्रथम पक्ष की संख्या-1

: द्वितीय पक्ष की संख्या- एक

प्रथम पक्ष का विवरण	:	द्वितीय पक्ष का विवरण
जगदीश पुत्र शीतल निवासी - महमूदपुर मजरा मुजफ्फरनगर धुसवल, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	:	भोला पुत्र पृथ्वीराज निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर।

जगदीश

भोला





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 507337

- 5 -

व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय-कृषि
---------------	--------------

यह अनुबन्ध पत्र जगदीश पुत्र शीतल निवासी - महमूदपुर मजरा मुजफ्फरनगर घुसवल, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है एवम् भोला पुत्र पृथ्वीराज निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

जगदीश

भोला

भोला

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 507338

-6-

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या 606स रकबा 0.253 हे०, स्थित- ग्राम मुजफ्फरनगर घुसवल, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम सं० 00239 के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम का असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है। प्रथम पक्ष को पैसों की सख्त आवश्यकता है इसलिये अपना सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को इस अनुबन्ध पत्र द्वारा विक्रय कर

रु. ५०००

जगादीश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 591497

-7-

रहा है प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व राफ है तथा प्रथम पक्ष ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके

जगदीश

जगदीश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 591498

- 8 -

वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप अग्रिम धनराशि रु0 4,99,928/- के प्रतिफल में जिसका विवरण इस अनुबन्ध पत्र के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है,

अनुबन्ध

अनुबन्ध



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 59149

- 9 -

को कतई च दिया है, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यहाँ स्वीकार करते हैं। ~~प्रथम पक्ष उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त करके देगा और अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद एक महीने के अन्दर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के हक में बयनामा कर देगा। यदि इस अनुबन्ध पत्र~~

जागदीश

श्री शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 59149

- 10 -

के निष्पादन के बाद कोई विवाद या किसी अन्य व्यक्ति का दावा उक्त भूमि से सम्बन्धित प्रकट होता है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को सम्पूर्ण अग्रिम धनराशि मय ब्याज व हर्जे खर्चे सहित वापस करेगा। यदि प्रथम पक्ष अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद रजिस्ट्री करने में कोई हीला हवाली करता है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष से द्वारा न्यायालय बयनामा करा लेवे। प्रथम पक्ष ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर

जगदीश

जगदीश
[Fingerprint]



- 11 -

प्रथम पक्ष तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। प्रथम पक्ष ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। प्रथम पक्ष व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा

जागीरीश

रिश्त खोला

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 872452



- 12 -

सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

Dr. Sharma

जगदीश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 872453



- 13 -

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फरनगर घुसवल अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु० 13,75,000/- प्रति हेक्टेअर है इस प्रकार बिक्रीत भूमि

जगदीश

रिश्त भावना

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 872454



- 14 -

0.253 की कुल मालियत 2,78,300/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से ज्यादा है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु 50,000/- + 100/- = 50,100/- का जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी

जगदीश

30 MAR
[Signature]



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 872455



- 15 -

लिक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

जगदीश

जि.डी. शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 16 -

यह कि इस अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे।

यह कि इस अनुबन्ध पत्र के साथ उक्त भूमि का कब्जा प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

जगदीश

जगदीश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 17 -

लिहाजा यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. प्रथम पक्ष को रू0 4,99,928/- द्वारा चेक संख्या-616409 व 616444

जगदीश

श्री शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B-411887

- 18 -

दिनांकित 3.04.2007 पंजाब नेशनल बैंक शाखा
हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार प्रथम पक्ष को कुल अग्रिम धनराशि
4,99,928/- (रुपया चार लाख निन्यानबे हजार नौ सौ

जगदीश

रु. 499,928/-

रु. 499,928/-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 145860



- 19 -

अट्टाईस मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करते हैं। विक्रेता को क्रेता से कोई धनराशि लेना शेष नहीं है।

नोट:- पृष्ठ संख्या 8 के सतर 6 में रु0 के बाद

4,99,928/- पेन से लिखा हुआ है।

जगदीश

जगदीश



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 267487

- 20 -

2. पृष्ठ संख्या 9 के सतर 3 में करते हैं के बाद व सतर 4 में प्रथम के पहले के शब्द पेन से कटे है।
3. पृष्ठ संख्या 14 के सतर 2 में से के बाद ज्यादा व नियमानुसार के बाद विक्रय पेन से लिखा हुआ है। व पृष्ठ संख्या 14 के सतर 3 में 50,000/- व 50,100/- पेन से लिखा हुआ है।

जगदीश

रिजि. थाला

क्रमांक... 6914... दिनांक... 18-3-07
 शीतल... 507... स्थान...
 भाग...
 खा...
 श्रीमती जगदीश पुत्र पृथ्वी राज
 लखनऊ

भा० न० 173 भाग 2-3-09
 285/207 लखनऊ Ind. लखनऊ

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

499,928.00 499,928.00 5,000.00 40 5,040.00 2,000
 प्रतिफल मालियत अग्रिम धनराशि फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री/श्रीमती जगदीश
 पुत्र / पत्नी श्री शीतल
 पेशा कृषि
 निवासी स्थायी महमूदपुर लखनऊ
 अस्थायी पता

जगदीश



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 5/4/2007 समय 7:44PM
 वजे नियन्त्रण हेतु पेश किया।

जगदीश

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)
 लखनऊ
 5/4/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
 श्री/श्रीमती जगदीश
 पुत्र/पत्नी श्री शीतल
 पेशा कृषि
 निवासी महमूदपुर लखनऊ

जगदीश



क्रेता
 श्री/श्रीमती भोला
 पुत्र/पत्नी श्री पृथ्वीराज
 पेशा व्यापार
 निवासी बेजापुर भिटारी फतेहपुर

20810



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनको पहचान श्री सुनील कुमार सिन्हा
 पुत्र श्री जी सी सिन्हा
 पेशा व्यापार

सुनील कुमार सिन्हा



निवासी आर्यानगर लखनऊ
 व श्री अजय
 पुत्र श्री परीदीन
 पेशा व्यापार
 निवासी मुजफरनगर घुसवल लखनऊ

अजय परीदीन



ने की।

प्रत्यक्षतः नद साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)
 लखनऊ
 5/4/2007

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 516904

-21-

जगदीश

लखनऊ:

दिनांक : 05.04.2007

गवाह :

1. प्रथम पक्ष की पहचान की

Sunil Kumar Sinha
S/o Smt G C Sinha
288 Anand Nagar
2-110

प्रथम पक्ष

2. द्वितीय पक्ष की पहचान की

श्रीमती सुनील कुमारी सिन्हा
श्रीमती सुनील कुमारी सिन्हा
श्रीमती सुनील कुमारी सिन्हा

श्रीमती सुनील कुमारी सिन्हा
द्वितीय पक्ष



टाईपकर्ता:-

(एम0 कुमार)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:-

(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट

जगदीश

21A

6913 141367

वैनास
श्री लक्ष्मी प्रदीप
वैनास

विक्रेता

Registration No 3605

Year: 2007


Book No. 1

0101 जगदीश

शीतल

महमूदपुर लखनऊ

कृषि



क्रेता

Registration No. 3605

Year : 2007

Book No. 1

0201 भोला
पृथ्वीराज
मिर्जापुर मिटारी फतेहपुर
व्यापार



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32(3) के अनुसार

फिंजर प्रिंट्स

पुस्तककर्ता/विक्रेता नाम व पता :-

जगदीश लाल शर्मा 222 मजरा

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

जगदीश लाल शर्मा 222 मजरा



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-

जगदीश लाल शर्मा 222 मजरा

पुस्तककर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

जगदीश लाल शर्मा



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




जगदीश

जगदीश लाल शर्मा

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 05/04/2007 को
बही सं 1 जिल्द सं 8257
पृष्ठ सं 1 से 46 पर क्रमांक 3605
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


के .के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

5/4/2007